राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं.– 0141–2399335, 2399336 ई–मेल– ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट–3/16/30357 जयपुर दिनांक 24-01-19

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 15 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच एवं निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक बाल कल्याण समिति 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य (जिनमें से एक महिला एवं एक बच्चों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए) से मिलकर बनी न्यायपीठ है। इस न्यायपीठ को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत् प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है।

निम्न वर्णित जिलों में गठित बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क. सं.	जिले का नाम	पदों का विवरण
1	भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ, जैसलमेर, जोधपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर एवं कोटा	प्रत्येक बाल कल्याण समिति में 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य, (जिसमें से 1 महिला अनिवार्य)
2	धौलपुर	बाल कल्याण समिति के 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य
3	पाली	बाल कल्याण समिति में 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य
4	प्रतापगढ एव बाडमेर	प्रत्येक बाल कल्याण समिति में 1 अध्यक्ष व 1 सदस्य
5	अजमेर	बाल कल्याण समिति में 4 सदस्य
6	श्रीगंगानगर, झुंझुनू, झालावाड एवं जयपुर	प्रत्येक बाल कल्याण समिति में 1 सदस्य

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में पात्रता रखने वाले योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन आदर्श नियम के नियम 87 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सदस्यों को निर्धारित बैठकों में भाग लेने के पेटे निर्धारित बैठक भत्ता देय होगा।

उक्त वर्णित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/योग्यताओं एवं आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा–निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in के http://sje.rajasthan.gov.in/commissions/DCR/ लिंक से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र

को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 11 फरवरी, 2019 तक संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

नोटः– विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति कमांक 6327 दिनांक 21.05.18 एवं विज्ञप्ति कमांक 16516 दिनांक 12.09.18 द्वारा आमंत्रित आवेदन पत्र/साक्षात्कार को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जाकर नये सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। अभ्यार्थियों द्वारा पूर्व में किये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि वे इच्छुक हो तो नये सिरे से आवेदन कर सकते हैं।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त एवं शासन सचिव एवं
सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

क्रमांकः एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट–3/16/30358-499 जयपुर दिनांक 24-01-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. माननीय अध्यक्ष, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, समस्त।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
11. उपनिदेशक (प्रचार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक,/लेखाधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
13. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों के क्रम में योग्य आवेदकों के आवेदन जिला मजिस्ट्रेट (अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई) के माध्यम से दिनांक 15 फरवरी, 2019 तक विशेष वाहक द्वारा विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्यों के मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं/सामान्य दिशा निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 15 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच एवं निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक बाल कल्याण समिति 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य (जिनमें से एक महिला एवं एक बच्चों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए) से मिलकर बनी न्यायपीठ है। इस न्यायपीठ को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत् प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है।

बाल कल्याण समिति में किसी भी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार हैः–

1. किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसे व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता की 35 वर्ष आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी, 2019 को की जाएगी।
2. आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता का स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी कियाकलापों में कम से कम 7 वर्ष तक सकिय रूप से कार्यानुभव होना आवश्यक है।
3. आवेदक सामाजिक कार्यकर्ता का बाल मनोविज्ञान (Child Psychology) या मनःचिकित्सा (Psychiatry) या विधि (Law) या सामाजिक कार्य (Social Work) या समाज विज्ञान (Sociology) अथवा मानव विकास (Human Development) में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक या सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी (Retired Judicial Officer) होने चाहिए।
4. समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।
5. कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि–
   i. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिकमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है;
   ii. उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।
   iii. उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है।
   iv. वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रमिक के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।
6. राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी, यदि–
   i. वह इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो,

ii. वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,

iii. वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष गें कम से कम तीन–चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

7. आवेदक ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं हेाना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार समिति के कार्य के लिए व्यक्ति का आवश्यक समय व ध्यान देने की अनुमति न देता हो।
8. आवेदनकर्ता को पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्थान (बाल गृह/आश्रय गृह/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी इत्यादि) के प्रबंधन एवं संचालन से जुडा न हो।
10. आवेदक किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।
11. आवेदक दिवालिया न हो।

निम्न वर्णित जिलों में गठित बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

क्र. सं.	जिले का नाम	पदों का विवरण
1	भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ, जैसलमेर, जोधपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर एवं कोटा	प्रत्येक बाल कल्याण समिति में 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य, (जिसमें से 1 महिला अनिवार्य)
2	धौलपुर	बाल कल्याण समिति के 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य
3	पाली	बाल कल्याण समिति में 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य
4	प्रतापगढ एव बाडमेर	प्रत्येक बाल कल्याण समिति में 1 अध्यक्ष व 1 सदस्य
5	अजमेर	बाल कल्याण समिति में 4 सदस्य
6	श्रीगंगानगर, झुंझुनू, झालावाड एवं जयपुर	प्रत्येक बाल कल्याण समिति में 1 सदस्य

बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में पात्रता रखने वाले योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन आदर्श नियम के नियम 87 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सदस्यों को निर्धारित बैठकों में भाग लेने के पेटे निर्धारित बैठक भत्ता देय होगा।

उक्त वर्णित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/योग्यताओं एवं आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा–निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in के http://sje.rajasthan.gov.in/commissions/DCR/ लिंक से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 11 फरवरी, 2019 तक

संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त एवं शासन सचिव
एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

आवेदक का नवीन फोटो

सेवा में,

श्रीमान उपनिदेशक/सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.... ।

विषयः–बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्र्तगत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा बाल कल्याण समिति, ...में अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है।

उक्त क्रम में मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है:–

1.	आवेदक का नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	ई–मेल एवं मोबाईल. नम्बर	
5.	निवास का पूर्ण पता **(स्थाई एवं वर्तमान)**	
6.	दिशा–निर्देशों में अंकित अर्हताओं में कौन–सी अर्हता रखते है, का विवरण देवें। **(शैक्षणिक)** **(पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकतालिका एवं उच्चतम शैक्षणिक योग्यताओं /डिग्री की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)**	
7	आवेदनकर्ता द्वारा धारित अनुभव का विवरण **(पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)**	

हस्ताक्षर..................

8	वर्तमान व्यवसाय	
9.	आवेदक को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राप्त सम्मान पदक, प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण देवें। **(पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)**	
10	क्या आवेदक के विरूद्ध न्यायालय/थाने में प्रकरण दर्ज/लबिंत/निस्तारित हो चुका है/रहा है कि संबंध में पूर्ण विवरण देवे, निस्तारण होने पर क्या दोष सिद्व ठहराया गया है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
11	क्या आवेदक को किसी ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
12	क्या आवेदक किसी अनैतिक कार्य या बाल उत्पीडन के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन में अंतर्वलित है/रहा है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
13	क्या आवेदक का मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
14	क्या आवेदक को केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
15	क्या आवेदक पूर्व में कभी किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष/सदस्य रहा/रही हैं ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष/सदस्य रहा है तो अवधि का पूर्ण विवरण अंकित करें।)**	

हस्ताक्षर......................................

16	क्या आवेदक वर्तमान मे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत् संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी /बाल देखरेख संस्थान के प्रबंधन/संचालन कर रहे है? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें)**	
17	क्या आवेदक दिवालिया है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)**	
18	क्या आवेदक किसी राजनैतिक पार्टी का पदाधिकारी है ? **(उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो राजनैतिक पार्टी का नाम/पद/कार्यकाल अवधि इत्यादि का पूर्ण विवरण लिखें।)**	

सामान्य निर्देश

आवश्यक संलग्नकों का विवरणः–

1. **जन्मतिथि प्रमाण हेतुः**–10 वीं की अंकतालिका संलग्न करे।
2. **शैक्षणिक व अन्य योग्यता प्रमाण हेतु** :–समस्त शैक्षणिक योग्यताओं की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें। ।
3. **निवास का पताः**–अपने पहचान पत्र /पासपोर्ट इत्यादि की प्रति संलग्न करें जिसमें आपके निवास का सही पता अंकित हो।
4. **पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला ऑनलाईन (On line) नवीनतम चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हो ।**
5. **बिन्दु संख्या 10 से 18 के लिए 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।**

नोटः इस आवेदन पत्र प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप/पुराने प्रारूप में भेजे गये आवेदन पत्र अमान्य होगें। भरे हुए मूल आवेदन पत्र की दो फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

उक्त आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचना पूर्ण एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई जानकारी गलत प्रस्तुत नहीं की गयी है।

दिनांक ....   आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न ....

हस्ताक्षर....................................